राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत
निजी क्षेत्र में बांस नर्सरी हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

.....

.....

विषयः **सार्वजनिक क्षेत्र में बांस नर्सरी हेतु ''राष्ट्रीय बांस मिशन योजना'' के अन्तगर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव।**

महोदय,

मैं/हम . . . . . .

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

. . . . . मेरी/हमारी भूमि जो गांव .....पो0 .... तहसील ..... जिला .....

पिन कोड .....में अवस्थित है, हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अन्तर्गत बांस नर्सरी हेतु सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हूँ/हैं। मेरी स्वामित्व की भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. भूमि/खण्ड का पता .....
   .....
   गांव .....विकासखण्ड .....
   .....
   जिला.....राज्य .....पिन कोड .....
   .....
2. लाभार्थी का दूरभाष संख्या.....
   .....
3. लाभार्थी की जाति.....
   .....
4. लाभार्थी का आधार न0.....
   .....
5. यदि बांस नर्सरी सरकारी, पंचायत, सामुदायिक भूमि पर किया जाना है तो उस क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र आता है उसमें सामान्य, अनुसूचित जाति वं अनुसूचित जनजाति का क्रमषः प्रतिषत.....
   .....
6. लाभार्थी के पास कुल उपलब्ध भूमि .....
   .....
   हैक्टेयर/बीघा/नाली भूमि पर मालिकाना हक है का साक्ष्य (किसान पास बुक/पटवारी का प्रमाण पत्र)
7. भूमि का प्रकार.....सिंचित/असिंचित .....
   .....
8. भूमि/कृषि क्षेत्र पर पहुंच पाने से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी .....
   .....

9. जल स्रोतों की उपलब्धता का विवरण .....
.....
10. कुल प्रस्तावित बांस नर्सरी का क्षेत्र (2 है0/1 है0/0.5 है0).....
.....
11. क्या लाभार्थी बैंक ऋण लेना चाहता है .....
.....
12. बैंक ऋण का विवरण धनराशि रू0 में ..... बैंक का नाम
.....शाखा .....
जनपद ..... खाता संख्या .....

प्रस्ताव हेतु अनुमानित लागत

अनुदान रू0 .....
बैंक ऋण/स्वयं स्रोत .....
कुल धनराशि .....

लाभार्थी के हस्ताक्षर

नोटः– भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बांस रोपण हेतु निम्न शर्ते हैंः–

1. उन्हीं किसानो/उद्यमिया/संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जिन्हें पूर्व में बांस या अन्य प्रकार की पौधों की नर्सरियों को विकसित करने का अच्छा अनुभव हो।
2. किसान/उद्यमी/संस्था प्रस्तावित नर्सरी को किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं करेगा।
3. हाई टेक नर्सरी (2 है0 भूमि) में कम से कम 50 हजार पौघ, बड़ी नर्सरी (1 है0 भूमि) में 25 हजार पौध तथा छोटी नर्सरी (0.5 है0 भूमि) में 16 हजार पौध होने आवष्यक है।
4. राश्ट्रीय बांस मिषन की गाईड लाईन के अनुसार हाई टेक नर्सरी की कुल लागत रू0 50.00 लाख, बड़ी नर्सरी 16.00 लाख तथा छोटी नर्सरी हेतु रू0 10.00 लाख है, जिसमें से निजी क्षेत्र के लिए 50 प्रतिषत का अनुदान का प्रावधान है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र हेतु षतप्रतिषत अनुदान का का प्रावधान है।
5. किसान/उद्यमी/संस्था को अनुदान राषि प्राप्त करने हेतु बैंक से बैंक से टर्म लोन लेना आवष्यक है। मिषन के अन्तर्गतत दी जाने वाली 50 प्रतिषत अनुदान राषि बैंक के माध्यम से 2 समान किष्तों में दी जायेगी। प्रथम किष्त अग्रिम के रूप में लाभार्थी का बैंक से टर्म लोन स्वीकृत होने पर तथा द्वितीय किष्त कार्य समाप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।
6. किसान/उद्यमी/संस्था द्वारा नर्सरी को कम से कम 10 वर्श तक संचालन करना आवष्यक होगा। परिशद् मांग के अनुसार पौधों की आपूर्ति हेतु समय–समय पर आर्डर दे सकती है, लेकिन आर्डर देने हेतु वाध्य नहीं होगी।
7. किसान/उद्यमी/संस्था को प्रतिवर्श माह मार्च में नर्सरी का आय व्यय तथा नर्सरी स्टॉक की आख्या परिशद् को प्रस्तुत करनी होगी साथ ही राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कोई भी प्रतिनिधि नर्सरी निरीक्षण करता है तो उन्हें पूर्ण सहयोग करना होगा।
8. किसान/उद्यमी/संस्था द्वारा नर्सरी में बांस की वही प्रजाति के पौध तैयार की जायेगी जो राश्ट्रीय बांस मिषन भारत सरकार द्वारा चयनित की गई हैं।
9. परिशद द्वारा तकनीकि रूप से सुयोग्य प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा।

10. लाभार्थी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को जमा करना आवष्यक होगा।

षपथः—

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सभी सूचनाऐं सत्य हैं। मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं षर्तो का पालन के लिए तैयार हूं/हैं, यदि भविश्य में किसी भी समय मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचनाऐं गलत पाई जाती हैं या राश्ट्रीय बांस मिषन के नियम एवं षर्तो के अनुसार कार्य नहीं पाया जाता तो मैं/हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार रहुंगा/रहेगें साथ ही मिषन से प्राप्त पूर्ण धनराषि को राश्ट्रीय बांस मिषन उत्तराखण्ड को वापस करूगा/करेंगें।

आवेदक के हस्ताक्षर

पता.....

(यदि मुहर हो तो लगाऐं)